न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-41RAAJodhpur2024-198RTA223 Narayansingh ors Vs Mangilalsingh etc

नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान् तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. मांगीलालसिंह पुत्र कानसिंह
2. अन्जुदेवी पत्नि उदेसिंह
3. उगमसिंह पुत्र मुकनसिंह
4. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. घेवरसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. जेठुसिंह पुत्र भगसिंह
7. जीवराजसिंह पुत्र उदेसिंह
8. दीपुकंवर पत्नि तगसिंह
9. किशनसिंह पुत्र दौलतसिंह
10. शैतानसिंह पुत्र दौलतसिंह
11. परोदेवी पुत्री दौलतसिंह
12. अन्तुदेवी पुत्री दौलतसिंह
13. सुगनादेवी पुत्री दौलतसिंह
14. बरजू पुत्री दौलतसिह
15. लालकवर पत्नि केसरसिंह
16. मनोहरसिंह पुत्र केसरसिंह
17. श्रवणसिंह पुत्र केसरसिंह
18. चन्द्रकंवर पुत्री केसरसिंह
19. झमुकंवर पुत्री केसरसिंह
20. छोटाकंवर पुत्री केसरसिह
21. ममता पत्नि इन्द्रसिंह
22. जेठी पुत्री इन्द्रसिंह
23. अनीता पुत्री इन्द्रसिंह
24. अमीषा पुत्री इन्द्रसिंह (रेस्पो संख्या 22 से 24 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता ममता पत्नि इन्द्रसिंह)
25. प्रेमसिंह पुत्र पन्नेसिंह
26. रूखमो पुत्री पन्नेसिंह
27. प्रतापसिंह पुत्र भगसिंह

28. भूरकंवर पत्नि देवीसिंह
29. मोहनसिंह पुत्र पूजंराजसिंह
30. मदनसिंह पुत्र पुंजराजसिंह
31. लक्ष्मणसिंह पुत्र पुजराजसिंह
32. धापुदेवी पत्नि पुंजराजसिंह
33. लेहरकंवर पुत्री पुंजराजसिंह
34. हसु कंवर पुत्री पुंजराजसिह
35. शांति कवर पुत्री पुंजराजसिंह
36. सुखिया पत्नि भीमसिंह
37. राजुसिंह पुत्र भीमसिंह,
38. शंकरसिह पुत्र भीमसिंह
39. जगदीशसिंह पुत्र भीमसिंह
40. मदनकंवर पुत्री भीमसिंह
41. शेलुकंवर पुत्री भीमसिंह
42. पुष्पाकंवर पुत्री भीमसिंह
43. कंचनकंवर पुत्री भीमसिंह
44. कमला देवी पत्नि मगसिंह
45. हडमानसिंह पुत्र मगसिंह
46. जितेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह
47. लीलाकंवर पुत्री मगसिंह
48. देवीकंवर पुत्री मगसिंह
49. शोभाकंवर पुत्री मगसिंह
50. मदनसिंह पुत्र पुंजराजसिंह
51. मनोहरसिंह पुत्र सबलसिंह
52. मोतीसिंह पुत्र भवरसिंह
53. मोहनसिंह पुत्र पुंजराजसिंह
54. रामसिंह पुत्र सबलसिंह
55. लक्ष्मणसिंह पुत्र सबलसिंह
56. केसरकंवर पुत्री सबलसिंह
57. लक्ष्मणसिंह पुत्र पुंजराजसिंह
58. सुमेरसिंह पुत्र उदेसिंह
59. हुकमसिंह पुत्र तगसिंह
60. नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह
61. मनोहरसिंह पुत्र हमीरसिंह
62. ओमसिंह पुत्र हमीरसिंह
63. भवानीसिंह पुत्री हमीरसिंह

64. छेवीकंवर पुत्री हमीरसिंह
65. गीताकंवर पुत्री हमीरसिंह
66. पेपोदेवी पत्नि हरजीसिंह
67. जसुकंवर पुत्री हरजीसिंह
68. हीरकंवर पत्नि भंवरसिह

    सभी कौम पुरोहित, निवासीगण ग्राम कनोडिया पुरोहितान्, तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

69. जसवंतसिंह पुत्र बुधसिंह
70. कल्याणसिंह पुत्र विजयसिंह

    निवासीगण कनोडिया पुरोहितान् तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

71. सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 86/2022 मांगीलाल बनाम अन्जूदेवी इत्यादि

उपस्थित–

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 69, 70
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 71

नि र्ण य

दिनांक : 04 जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2022 अनवान मांगीलाल बनाम अन्जूदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम कनोडिया पुरोहितान् तहसील सेखाला के खसरा संख्या 243 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 244 रकबा 0.0243 गै. मु. बाडा, खसरा संख्या 245 रकबा 12.666 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7152 हैक्टयर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के

विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो. संख्या एक का वाद अदम हाजरी में खारिज करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2024 जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्डेड संयुक्त खातेदारान पर विधिवत तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पो. संख्या 01 मांगीलाल के वाद को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज करते हुए शेष प्रतिवादीगण की ओर से पेश काउण्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2024 विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित की है। कानूनन मात्र खरीददार पक्षकार का ही बंटवाडा किया गया जो कि अवैध एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है, क्योकि कानूनन सभी पक्षकारान् का विधिवत बंटवाडा किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण को पुनः सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए रिमाण्ड किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 69 व 70 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में प्रतिवादीगण के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अदालत हाजा द्वारा अपील स्तर पर जमाबंदी में अपीलांट सहित सभी पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार संषोधित प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 243, 244, 245 मौजा कनोडिया पुरोहितान् हैक्टेयर में दर्ज सभी सहखातेदारान्/वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण के जमाबंदी में दर्ज हक–हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब न कर केवल प्रतिवादीगण संख्या 2, 6, 7, 30, 54, 55, 59, 60, 62, 69 70 की ओर प्रस्तुत काउंटर क्लेम को स्वीकार कर करते हुए प्रतिवादी दीपुकंवर का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी मदनसिंह का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी हुकमसिंह का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी नरपतसिंह, ओमसिंह व हमीरसिंह के सभी वारिसान् प्रतिवादी संख्या 60 से 65 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 69 व 70 का खसरा नंबर 245 में खरीदसुदा हिस्से के ही विभाजन किये जाने के आदेष तहसीलदार को दिये गये है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो. पक्ष यह दौरान बहस यह स्वीकारोक्ति प्रदान की गई है कि जमाबंदी में समस्त पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार संषोधित प्राथमिक प्राथमिक जारी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी के समस्त खातेदारान् के मध्य विभाजन किये जाने हेतु न्याय हित में अदालत हाजा स्तर से इस आषय की संषोधित प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2022 अनवान मांगीलाल बनाम अन्जूदेवी इत्यादि में पारित

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जनवरी 2024 को संषोधित किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम कनोडिया पुरोहितान् तहसील सेखाला के खसरा संख्या 243 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सख्या 244 रकबा 0.0243 गै. मु. बाडा, खसरा संख्या 245 रकबा 12. 666 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7152 हैक्टयर की अद्यतन जमाबंदी में दर्ज सभी पक्षकारान्/वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हक–हिस्से अनुसार विभाजन के आदेष दिये जाते है। तहसीलदार सेखाला को निर्देषित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेष करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत अंतिम डिक्री जारी करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर